न्यायालय परगनाधिकारी नवाबगंज, बाराबंकी।

वाद संख्या-12 अन्तर्गत धारा 143 ज०वि०भू०व्य०

सागर ऐजुकेशनल सोसायटी द्वारा सचिव सुनील कुमार झुनझुनवाला पुत्र श्री पुरूषोत्तम लाल अग्रवाल फैजाबाद रोड बाराबंकी।

बनाम

सरकार उत्तर प्रदेश।

आदेश दि० 3/8/2001

=====

सागर ऐजुकेशनल सोसायटी द्वारा सचिव सुनील कुमार झुनझुनवाला पुत्र पुरूषोत्तम लाल अग्रवाल कोतवाली के सामने फैजाबाद रोड बाराबंकी ने इस न्यायालय पर धारा 143 ज०वि०अ० के तहत एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें कहा गया है कि प्रार्थी की सोसायटीज के अन्तर्गत पंजीकृत है जिसके सचिव सुनील कुमार झुनझुनवाला है। गाटा संख्या 2140 रकबा 0.062, 2141 रकबा 0.066, 2145 रकबा 0.051, 2216 रकबा 0.025, 2217 रकबा 0.190, 2218 रकबा 0.089, 2219 रकबा 0.149, 2220 रकबा 0.582, 2221 रकबा 0.374, 2222 रकबा 0.306, 2225/2 रकबा 0.153 तथा 2227 रकबा 0.069 कुल 13 किता रकबा 2.244हे0 स्थित मौजा सुरसन्डा परगना व तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी का संक्रमणीय भूमिधर और दर्ज कागजात है प्रार्थी उक्त भूमि पर बतौर संक्रमणीय भूमिधर काबिज व दाखिल चला आ रहा है। प्रार्थी उपरोक्त भूमि का उपयोग कृषि से उद्देश्य से भिन्न अर्थात् ऐजुकेशनल संस्थान बनाकर शिक्षा का कार्य कराना चाहता है। उक्त भूमि काश्तकारी के योग्य नहीं है। इस भूमि से गांवसभा का कोई वास्ता व सरोकार नहीं है। न ही सीलिंग एक्ट से प्रभावित है। उक्त भूमि का उपयोग कृषि कार्य से भिन्न उद्देश्य में प्रयोग करने हेतु आबादी घोषित कराना चाहता है और लघु उद्योग में प्रयोग के लिये व्यावसायिक भूमि का प्रमाण पत्र चाहता है।

इस प्रार्थना-पत्र की जांच तहसील से कराई गयी। तहसील की आख्या के अनुसार उपरोक्त गाटा संख्यायें ग्राम सुरसन्डा परगना व तहसील नवाबगंज में स्थित है यह फैजाबाद लखनऊ जाने वाली मुख्य सड़क से लगी हुयी है। इसके समस्त नम्बर आपस में एक दूसरे से लगे हुये है। इन पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। यह सम्पूर्ण भूमि उद्योग लगाये जाने हेतु उपयुक्त है। ऐसी स्थिति में इस भूमि को अकृषक/औद्योगिक भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति की जाती है। ग्राम चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत है अतः यह आवश्यक है कि इस सम्बन्ध में चकबन्दी विभाग से आख्या प्राप्त कर ली जाये।

इस न्यायालय से बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी को पत्र भेजा गया, जिसमें उनसे इस सम्बन्ध में आख्या मांगी गयी, कि धारा 143 ज०वि०अ० की घोषणा के पश्चात चकबन्दी में इन नम्बरों पर कोई विपरीत असर तो नहीं होगी। बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के कार्यालय से आख्या प्राप्त हुयी जिसमें कहा गया, कि सागर ऐजुकेशनल सोसायटी द्वारा सचिव सुनील कुमार [illegible] पुत्र श्री पुरूषोत्तम लाल के नाम ग्राम सुरसन्डा के

..2..

[illegible] 2160, 2161, 2165, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223 [illegible] 2224 [illegible]

[illegible]

[illegible] 2160 रकबा 0.062, 2161 रकबा 0.066 2165 रकबा 0.051, 2216 रकबा 0.025, 2217 रकबा 0.196, 2218 रकबा 0.009, 2219 रकबा 0.156, 2220 रकबा 0.508 व 2221 रकबा 0.370 2222 रकबा 0.306 2223 रकबा 0.155 व 2224 रकबा 0.069 कुल 12 किता [illegible]

[illegible]